



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 380 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29 / पाकालि / 2013 - 6 काविनी एवं वे०प्र० / 08 दिनांक 31 जुलाई, 2013

समस्त मुख्य अभियंता, (स्तर-1 एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी / अधिकारिकों, जो दिनांक 01.01.96 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से महंगाई भत्ते का, बड़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 995-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/12-06 काविनी एवं वे०प्र०/08 दिनांक 02 मार्च, 2013 एवं 71-वे०प्र०-31/पाकालि/06-8वे०प्र०-30/06 दिनांक 27 फरवरी, 2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० पावर कारपोरेशन के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/अधिकारिक, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित नहीं हुए हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2013 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमत्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2013	मूल वेतन एवं महंगाई वेतन के योग का 166 प्रतिशत

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कारपोरेशन के आदेश सं० 410-वे०प्र० (30)/पाकालि/00-14वे०प्र०(30)/00 दिनांक 23.08.2000 के प्रस्तर 2, 6, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - 9 (21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत् थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवारत् चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमत्य होगा।

5. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

6. उक्त आदेश द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2013 से दिनांक 31 मई, 2013 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर

(क्रमशः.....2)

